



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 14 फाल्गुन, शक संवत्, 1941

(दिनांक : 04 मार्च, 2020)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी "क")
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी "ख तथा ग")
3. निधन के निदेश।
4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2019 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।
5. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, खण्ड-1 को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. मुख्यमंत्री, सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा 18(2) के अधीन उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (2017-2018, 2018-2019) को सदन के पटल पर रखेंगे।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तराखण्ड सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को सदन के पटल पर रखेंगे।
8. सभापति, उत्तराखण्ड विधान सभा की आश्वासन समिति का बत्तीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
9. सभापति, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों का गठन सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
10. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि:-
 - (1) उत्तराखण्ड विनियोग (वर्ष 2019-2020 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का बारहवाँ अधिनियम बन गया।
 - (2) उत्तराखण्ड माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2019 का तेरहवाँ अधिनियम बन गया।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।)

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।)

- (3) उत्तराखण्ड { उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का प्रथम अधिनियम बन गया।
- (4) उत्तराखण्ड मंत्री (वित्त, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का दूसरा अधिनियम बन गया।
- (5) उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का तीसरा अधिनियम बन गया।
- (6) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का चौथा अधिनियम बन गया।
- (7) उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का पाँचवां अधिनियम बन गया।
- (8) उत्तराखण्ड चार धाम देवास्थानम् प्रबन्धन विधेयक, 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 13 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का छठा अधिनियम बन गया।
- (9) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का सातवां अधिनियम बन गया।
- (10) उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का आठवां अधिनियम बन गया।

- (11) उत्तराखण्ड पंचायतीराज (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का नौवां अधिनियम बन गया।
- (12) उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का दसवां अधिनियम बन गया।
- (13) उत्तराखण्ड फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक 2019 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जनवरी, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2020 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।
11. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
12. श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा “जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री तहसील भटवाड़ी के ग्राम अठाली में फसलों की सुरक्षा हेतु तार घेरबाड़ करवाये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती रेशनी देवी, पत्नी श्री जय सिंह राणा, ग्राम अठाली, पो0 रतूडीसेरा, तहसील भटवाड़ी जिला उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
13. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा “जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैण में स्थित बी0एम0वी0 क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग कि0मी0 23 से 29 तक सुधारीकरण व अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में” श्री अवतार सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री बख्तावर सिंह, ग्राम व पो0 मेहलचौरी जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
14. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा “जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के विकास खण्ड गैरसैण के अन्तर्गत खनसर नदी से सरस्वती शिशु मन्दिर माईथान बाजार की बाढ़ सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में” श्री कमला प्रसाद पुत्र श्री महेशा नन्द नैनवाल, ग्राम कोट, पो0 माईथान जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
15. सुरेन्द्र सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा “जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पिण्डर नदी में निर्माणाधीन मोटर पुल सिमली व आमसौड (सेरागाड) शीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में” श्री देवेन्द्र सिंह नेगी पूर्व जिला पंचायत सदस्य, ग्राम व पो0 सिमली जिला चमोली एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा “विधान सभा क्षेत्र घनसाली जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना के तहसील बालगंगा के गोनगढ़ पेयजल योजना के सम्बन्ध में” श्री राम कुमार कटैत, पुत्र श्री उत्तम सिंह, ग्राम सरकण्डा, तहसील बालगंगा, जिला टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
17. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा “विधान सभा क्षेत्र घनसाली, जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भिलंग घाटी में अनेक पर्यटक स्थलों को चिन्हित करने के सम्बन्ध में” श्री केदार बर्तवाल, ग्राम गंवाणा मल्ला, पट्टी भिलंग, जिला टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
18. श्री खजान दास, सदस्य, विधान सभा राजपुर रोड़ विधान सभा के अन्तर्गत मच्छी बाजार, देहरादून को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने के सम्बन्ध में” श्री सन्तोष नागपाल पूर्व पार्श्व नगर निगम, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
19. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा “जनपद हरिद्वार के ग्राम सिकन्दरपुर पोस्ट भैंसवाल में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण व चारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री मिन्दू, पुत्र श्री मूलाचन्द, ग्राम सिकन्दरपुर पोस्ट भैंसवाल, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
20. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा “जनपद हरिद्वार के ग्राम भलस्वालगाज पोस्ट इकबालपुर में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यकरण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री दलीप प्रधान, पुत्र श्री सोमी सिंह, ग्राम ग्राम भलस्वालगाज पोस्ट इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे। ।
21. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा “जनपद हरिद्वार के ग्राम बालेकी यूसूफपुर पोस्ट इकबालपुर में रविदास मंदिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री सेढ़न कुमार पुत्र श्री हरि सिंह बालेकी यूसूफपुर पोस्ट इकबालपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
22. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
23. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

24. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
25. मुख्यमंत्री, 'उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2020' पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
26. मुख्यमंत्री, 'उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2020' को पुरःस्थापित करेंगे।
27. उच्च शिक्षा मंत्री, 'यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
28. उच्च शिक्षा मंत्री, 'यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी रुड़की विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।
29. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
30. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।
31. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
32. शहरी विकास मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।
33. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
34. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।
35. पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
36. पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।
37. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995) (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
38. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995) (संशोधन) को पुरःस्थापित करेंगे।
39. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
40. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

41. उच्च शिक्षा मंत्री, ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
42. उच्च शिक्षा मंत्री, ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020को पुरःस्थापित करेंगे।
43. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
44. श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे:-

“यह सदन माननीय राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2020 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।”

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा उक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी “घ”)

(समय : अपराह्न 04:00 बजे)।

45. वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आय-व्ययक प्रस्तुत करेंगे।
46. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

भराड़ीसैण :
दिनांक : 03 मार्च, 2020

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।



प्रथम सत्र, 2020
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची
बुधवार,
14 फाल्गुन, शक संवत्, 1941
(दिनांक : 04 मार्च, 2020)

नत्थी 'क'
अल्पसूचित प्रश्न

श्रीमती ममता राकेश
19.02.2020

** क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, भगवानपुर में विगत तीन वर्षों में श्रम विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने वाले कितने कैम्प, किन-किन क्षेत्रों में लगाये गये हैं? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त कैम्पों के संचालन के लिये किसकी संस्तुति ली गई तथा तीन वर्षों में संचालित कैम्पों में कितने श्रमिकों का पंजीकरण किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कितने श्रमिकों का पंजीकरण नवीनीकृत किया गया और पंजीकरण के कितने समय बाद पात्र श्रमिकों को उक्त सुविधा का लाभ प्रदान किया गया? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किस प्रकार पात्र श्रमिकों का चयन किया गया एवं कितने पात्र श्रमिक उक्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने से छूट गये? उक्त कैम्पों में प्रत्येक कैम्पवार कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम

श्री राम सिंह कैड़ा
20.02.2020

** क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटकों को आकर्षित करने वाली योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के नौजवानों हेतु पर्यटन से जुड़े रोजगार पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन

नत्थी 'ख'

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 40 (2) के अन्तर्गत प्रथम सत्र 2020 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल
06.08.2019

स्थगित।

*1. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के वनों में पाई जाने वाली प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा यथा जड़ी-बूटी, बांज, बुरांश आदि पौधे तथा जल स्रोतों का युक्तियुक्त दोहन कर प्रदेश में रोजगार की अपार सम्भावनाएं सृजित की जा सकती हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री प्रीतम सिंह
08.08.2019

स्थगित।

*2. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में रिस्पना नदी की स्वच्छ अविरल जल धारा बह सके इसके लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास

नत्थी 'ग'
तारांकित प्रश्न

श्री प्रीतम सिंह पंवार
29.01.2020

*1. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में अवस्थापना विकास, राज्य वित्त तथा अन्य मदों में वर्ष 2016-17, 2017-18 व 2018-19 में कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है? क्या सरकार नगरपालिका परिषदों व नगर पंचायतों में अवस्थापना विकास हेतु समान रूप से बजट का आवंटन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

काजी मौ0 निजामुद्दीन
29.01.2020

*2. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महाकुम्भ 2021 हरिद्वार में आने वाले तीर्थ यात्रियों द्वारा उत्पन्न कूड़े को एन.जी.टी. के मानकों के अनुसार निस्तारण के प्रावधान किये गये है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

काजी मौ0 निजामुद्दीन
30.01.2020

*3. क्या कौशल विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई) में उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कुशल प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इन संस्थानों में युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कुशल प्रशिक्षण देने हेतु कोई कार्ययोजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कौशल विकास

श्री देशराज कर्णवाल
30.01.2020

*4. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली सुअर, बन्दर तथा अन्य जानवरों के द्वारा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है ? इसके लिए विभाग द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, जिससे किसानों की फसलों के नुकसान को रोका जा सकें ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

काजी मौ0 निजामुद्दीन
31.01.2020

*5. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वच्छता को बढ़ाने के दृष्टिगत राज्य के समस्त नगर निकायों में एन.जी.टी. के मानक अनुसार कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रेडिंग ग्राउन्ड यथाशीघ्र उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कोई कार्ययोजना है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
31.01.2020

*6. क्या वन मंत्री अवगत हैं, कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया जा रहा है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है, जो पलायन का एक मुख्य कारण भी है ? क्या सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से किसानों की फसलों को निजात दिलाने हेतु कोई ठोस नीति बनायी है ? यदि हां, तो तद्सम्बन्धित पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

- श्री देशराज कर्णवाल
31.01.2020
- *7. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा किये जाने वाले जान माल की क्षति एवं आंधी तूफान से प्राकृतिक आपदा में होने वाले जान माल के नुकसान की पूर्ति सरकार द्वारा कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- वन
- श्री देशराज कर्णवाल
03.02.2020
- *8. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए शहरी क्षेत्रों में क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोका जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- पर्यावरण
- श्री प्रीतम सिंह पंवार
05.02.2020
- *9. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के नगर पंचायतों/नगरपालिका परिषदों तथा नगर निगमों में लगातार आबादी बढ़ने के फलस्वरूप इनमें नागरिक सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ने से व्यवस्थायें चरमरा रही हैं ? क्या सरकार नगर पंचायतों/नगरपालिका परिषदों तथा नगर निगमों में बेहतर नागरिक सुविधाओं की व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कार्ययोजनायें क्या-क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- शहरी विकास
- श्री प्रीतम सिंह पंवार
05.02.2020
- *10. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य निर्माण से लेकर अब तक पर्यावरण की स्थिति क्या रही है ? क्या यह सत्य है कि राज्य में दिन-प्रतिदिन पर्यावरण की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक हो रही है एवं जैव विविधता को भारी खतरा पैदा हो रहा है ? क्या यह सत्य है कि कोई भी जीवधारी दूषित पर्यावरण से अछूते नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई ठोस कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो वह कार्ययोजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- पर्यावरण
- श्री खजान दास
05.02.2020
- *11. क्या निर्वाचन मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड सरकार का नई दिल्ली में अपना उत्तराखण्ड सदन/निवास है? क्या उत्तराखण्ड प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने पर नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन/निवास में भी प्रभावी होती है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि दिल्ली प्रदेश में लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता हमारे नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन/निवास पर भी लागू होती है, जिस कारण उत्तराखण्ड प्रदेशवासियों को बार-बार आदर्श आचार संहिता के कारण विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है ? क्या मंत्री जी इन दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन/निवास पर लगने वाली दो-दो राज्यों की आदर्श आचार संहिता से राज्यवासियों को छूट प्रदान किये जाने हेतु राज्य हित में ठोस नीति बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?
- निर्वाचन

श्री सौरभ बहुगुणा
05.02.2020

*12. क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र सितारगंज के ग्राम लोका, गोंटा, गुरुनानकनगरी, सिन्दीझाला, अरविन्दनगर ढाई, सात एवं आठ नम्बर के ग्रामवासी विगत चालीस-पचास वर्ष से निरन्तर निवास कर रहे हैं? ये सभी पानी, बिजली आदि सभी मूलभूत सुविधायें होते हुये भी सड़क से वंचित हैं, क्योंकि उक्त सड़क वन विभाग के अन्तर्गत है ? क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

वन

श्री खजान दास
06.02.2020

*13. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 फरवरी, 2018 को विधान सभा क्षेत्र राजपुर रोड में विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मच्छी बाजार को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की सार्वजनिक घोषणा की गई थी, किन्तु लगभग 2 वर्ष का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी इस संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है ? क्या सरकार मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2018 को राजपुर रोड विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मच्छी बाजार को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने संबन्धी घोषणा को मूर्त रूप दिये जाने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
06.02.2020

*14. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 'इको टूरिज्म' को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्या सरकार 'इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड' अथवा ऐसी संस्था की स्थापना पर विचार करेगी, जिसमें सुदूर पर्वतीय अंचलों में भी 'इको टूरिज्म' की गतिविधियां संचालित की जा सके? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
07.02.2020

स्थगित।

*15. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोत अत्याधिक मात्रा में सूख गये हैं या सूखने के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाने से पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को पेयजल जैसी मूल समस्या से जूझना पड़ रहा है ? क्या सरकार प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु कोई ठोस नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण

स्थगित अतारांकित प्रश्न

श्री देशराज कर्णवाल
22.08.2019

1. क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवास विहीन लोगों की संख्या कितनी है ? सरकार इन आवास विहीन लोगों को कब तक आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती ममता राकेश
27.01.2020

द्वितीय बुधवार अतारांकित प्रश्न संख्या-17 में स्थानान्तरित।

1. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सचिव, विकास प्राधिकरण रुड़की (हरिद्वार) को प्रेषित पत्र संख्या मेमो/वी.आई.पी. /2019, दिनांक 07.12.2019, जो कि हरिद्वार जनपद के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाये जाने विषयक है, के क्रम में दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को सहायक अभियन्ता ह0-रू0वि0प्रा0, शाखा कार्यालय रुड़की को पत्र प्रेषित किया गया है, पर ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण हेतु की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है ?

शहरी विकास

श्रीमती ममता राकेश
27.01.2020

स्थगित।

2. विधान सभा के द्वितीय सत्र 2019 के दिनांक 10.12.2019 के उपवेशन में मेरे द्वारा नियम-51 में उठाई गई चर्चा के क्रम में शहरी विकास मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर में कहा गया है कि दिनांक 28.05.2019 द्वारा उप जिलाधिकारी, भगवानपुर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि समिति द्वारा की गई संस्तुति पर की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है ?

शहरी विकास

श्रीमती ममता राकेश
28.01.2020

3. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत संविदा श्रमिकों/कर्मचारियों के दुर्घटना में अंग-भंग होने पर उनको स्थायी करने का क्या प्राविधान है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान तक कितने औद्योगिक संस्थानों में कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया ?

श्रम

श्री प्रीतम सिंह पंवार
29.01.2020
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
29.01.2020

4. क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों की संख्या क्या है ? सरकार प्रतिवर्ष बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिए जाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवायोजन

श्री प्रीतम सिंह पंवार
29.01.2020

5. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के श्रम न्यायालयों में श्रम सम्बन्धी कुल कितने वाद लम्बित हैं ? क्या यह सत्य है कि श्रम सम्बन्धी वादों के समय से निस्तारण न किये जाने से ऐसे श्रमिकों को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार श्रम सम्बन्धी वादों के निस्तारण में तेजी लायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम

श्री प्रीतम सिंह पंवार
29.01.2020

द्वितीय बुधवार अतारांकित प्रश्न संख्या-16 में स्थानान्तरित।

6. क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में ठोस अपशिष्ट निस्तारण हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि ठोस अपशिष्ट निवारण के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण पर्यावरण दिन-प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि ठोस अपशिष्ट को नदी-नालों में बहाये जाने से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में ठोस कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
29.01.2020

7. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत जौनपुर राजि0 की 8 वन पंचायतें जायका परियोजना संचालन हेतु चयनित की गई थी, जिनमें अप्रैल 2019 से सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लानिंग) का कार्य प्रारम्भ किया जाना था? क्या जौनपुर प्रखण्ड की 08 वन पंचायतों में माइक्रोप्लानिंग कार्य प्रारम्भ कर जायका परियोजना में आच्छादित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्रीमती ममता राकेश
29.01.2020

द्वितीय बुधवार अतारांकित प्रश्न संख्या-19 में स्थानान्तरित।

8. क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआँ और गन्दा पानी पूरे क्षेत्र को दूषित कर रहा है ? क्या सरकार द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई दिशा-निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? क्या सभी औद्योगिक संस्थान दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो अभी तक कितनी प्रदूषण और गन्दा पानी फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण

काजी मौ0 निजामुद्दीन 29.01.2020	9. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कुंभ मेला 2021 हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई और उसके सापेक्ष कितनी धनराशि अब तक अवमुक्त की जा चुकी है ? क्या यह बात सही है कि आवंटित धनराशि के सापेक्ष अब तक आधी धनराशि भी अवमुक्त नहीं की गई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास
श्री दलीप सिंह रावत 29.01.2020	10. क्या वन मंत्री अवगत है कि कालागढ़ वन प्रभाग के अन्तर्गत विकासखण्ड नैनीडांडा व रिखणीखाल के ग्राम जमुड़, भक्वा, तैडिया व पांड गांव के लोगों को अपने गांव तक सड़क मार्ग से जाने की अनुमति है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा ग्रामीणों को रोके जाने के क्या कारण है ?	वन
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 30.01.2020	11. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत ग्राम पीपना, विकासखण्ड सल्ट जिला अल्मोड़ा में वर्ष 2016 में सांप के काटने से श्री अक्षय जोशी पुत्र श्री चन्द्र मोहन के देवालय स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी, जिसका आज समय तक मुआवजा नहीं दिया गया है ? क्या सरकार सांप के काटने से हुई मृत्यु पर प्रभावित परिवार को मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन
श्री हरभजन सिंह चीमा 03.02.2020	12. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि काशीपुर नगर निगम के विस्तारीकरण के समय नगर निगम से सटे गांव जिन्हें नगर निगम में शामिल किया जा चुका है और जिनकी आबादी लगभग 60 हजार है, इन क्षेत्रों में सीवर लाईन के निर्माण एवं शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कार्ययोजना क्या है और इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	शहरी विकास
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 04.02.2020	13. क्या कौशल विकास मंत्री अवगत हैं कि राज्य सरकार के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल विकास से सम्बन्धित विभिन्न ट्रेड संचालित किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत किन-किन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौन-कौन से ट्रेड संचालित किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	कौशल विकास
श्री प्रीतम सिंह पंवार 05.02.2020	14. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र धनोल्डी के अन्तर्गत वर्ष 1956-57 में निर्मित घुड़सालगांव-पसनी-बमेडी-बनाली वन मोटरमार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त है ? क्या यह सत्य है कि स्थानीय ग्रामीणों को अपनी नगदी फसलों को मण्डियों तक लाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उपरोक्त क्षतिग्रस्त वन मोटरमार्ग का पुनर्निर्माण/सुधारीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वन

श्री खजान दास
05.02.2020

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

15. क्या आवास मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य गठन से पूर्व प्रदेश में कुल कितनी आवासीय एवं व्यवसायिक भूमि थी तथा वर्तमान में कितनी है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि राज्य गठन के बाद उत्तराखण्ड कृषि भूमि का अत्यधिक भूमि उपयोग परिवर्तन हुआ है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितनी कृषि भूमि को आवासीय एवं व्यवसायिक अथवा गैर कृषि भूमि में वर्षवार/जिलेवार परिवर्तित किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास

श्री देशराज कर्णवाल
05.02.2020

16. क्या जनगणना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में जातिवार जनगणना की जा रही है या नहीं, जिससे यह सम्भव हो सके कि कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है, जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

जनगणना

श्री दलीप सिंह रावत
05.02.2020

17. क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न वन पंचायतों में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जा रही है ? यदि हां, तो अब तक वर्ष 2018-19 व 2019-20 में सभी वन पंचायतों में सन्तोषजनक कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री धन सिंह नेगी
06.02.2020

स्थगित।

18. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में स्थानीय निकाय सीवर लाईन का निर्माण करते हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में टिहरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, नई टिहरी व चम्बा में सीवर लाईन की स्थिति क्या है? क्या यह भी सत्य है कि शहरी विकास विभाग नगर पालिका क्षेत्रों में सीवर समस्या के समाधान के लिए अवस्थापना विकास का कार्य करती है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र, टिहरी के नगर पालिका परिषद नई टिहरी के एम. ब्लॉक, दुग्धीधर व निर्बल वर्ग आश्रम की सीवर लाईन को एस0टी0पी0 लाईन से जोड़ने की कार्यवाही करने का कार्य करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री धन सिंह नेगी
06.02.2020

19. क्या श्रम मंत्री अवगत है कि राज्य में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं? यदि हां, तो मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी तक राज्य के भीतर असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए कौन सी योजनाएं चलायी जा रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम

श्री उमेश शर्मा 'काऊ'
07.02.2020

20. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत करायेंगे कि देहरादून को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत चयनित होने पर केन्द्र द्वारा किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है या कराई जायेगी और इसमें राज्य सरकार का कितना अंशदान होगा? केन्द्र की स्मार्ट सिटी योजना में चयनित होने के लिए बनाये गये प्रोजेक्ट पर कन्सल्ट फीस के रूप में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कितनी धनराशि आज दिनांक तक व्यय की गई है और स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत किन-किन प्रोजेक्ट को सम्मिलित किया गया है और कितनी धनराशि की योजनाएं अब तक स्वीकृत की जा चुकी है तथा उन प्रोजेक्ट पर कितनी धनराशि व्यय की जानी है, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एवं सेमीनार पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है? क्या शहरी विकास मंत्री जी उनका सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री उमेश शर्मा 'काऊ'
07.02.2020

21. क्या आवास मंत्री अवगत करायेंगे कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत अप्रैल, 2017 से जनवरी, 2020 तक जनपद देहरादून में कितने विकास कार्य स्वीकृत किये गये हैं? क्या मंत्री जी अवगत करायेंगे कि प्राधिकरण द्वारा किस-किस विधानसभा क्षेत्र में अवस्थापना निधि के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है? क्या मंत्री जी प्राधिकरण द्वारा अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों तथा स्वीकृत किये गये कार्यों का सम्पूर्ण विवरण एवं व्यय की गई तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण विवरण विधानसभा क्षेत्रानुसार प्राक्कलन, नजीरये- नक्शे, विकास कार्यों के अनुबन्धों का विवरण उपलब्ध करायेंगे? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने विकास कार्य अनुबन्ध होने के पश्चात भी नहीं हो पाये हैं, उनका विवरण और कार्य न होने का कारण उपलब्ध करायेंगे?

आवास

श्री देशराज कर्णवाल
07.02.2020

22. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में राजीव गांधी शहरी विकास आवास के तहत कितने आवासों का निर्माण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री दलीप सिंह रावत
07.02.2020

23. क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के श्रमिकों के पंजीकरण हेतु विकासखण्डवार शिविर लगाये गये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम

श्री देशराज कर्णवाल
10.02.2020

24. क्या वन एवं वन्य जीव मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए वनाग्नि की जो समस्या प्रत्येक वर्ष होती है, जिससे हरित वन एवं वन्य जीवों को नुकसान होता है, इसके लिए विभाग द्वारा कोई ठोस नीति बनाई जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं वन्य जीव

श्री हरभजन सिंह चीमा
11.02.2020

25. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माह अक्टूबर 2019 में मा0 मुख्यमंत्री द्वारा काशीपुर के विकास हेतु काशीपुर शहर के अन्दर से जा रही क्षत-विक्षत लक्ष्मीपुर मार्डनर (गन्दा नाला) लम्बाई 3.025 किमी0 को तोड़कर नव निर्माण कराया जाना, काशीपुर में जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु नाले एवं नालियों का नवनिर्माण, काशीपुर-रामनगर रोड से काशीपुर-रूद्रपुर मार्ग को क्रास कर रही द्रोणासागर नहर जिसका पूर्व में लगभग 1/2 भाग हूम पाईप डालते हुए पक्की सड़क के रूप में निर्माण कराया जा चुका है, जो अस्त व्यस्त स्थिति में है, को काशीपुर-रामनगर रोड से काशीपुर-रूद्रपुर मार्ग तक बाईपास के रूप में सुसज्जित किया जाना, काशीपुर में आधुनिक शौचालय का निर्माण, काशीपुर में पार्किंग का निर्माण तथा काशीपुर में पार्को का निर्माण की घोषणायें की गयी थी ? यदि हां, तो सम्बन्धित कार्यो हेतु धन स्वीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो कार्ययोजना का विवरण क्या है और कार्यवार कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा इन पर कब तक कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास

श्री हरभजन सिंह चीमा
11.02.2020

द्वितीय बुधवार अतारांकित प्रश्न संख्या-18 में स्थानान्तरित।

26. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में बनाए जा रहे मास्टर प्लान के कारण भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत कराए जाने वाले मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण प्रदेश में भवनों के निर्माण का कार्य बन्द सा हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रदेश की बढ़ रही जनसंख्या द्वारा अपने रिहायशी भवनों के निर्माण में आ रही परेशानी को दूर किए जाने हेतु कोई योजना लागू करेंगे ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास



नत्थी "घ"

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

कं.सं. प्रस्तावक का नाम

संशोधन का रूप

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

- षकिन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-
1. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश,
 2. श्री प्रीतम सिंह,
 3. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
 4. श्री करन माहरा,
 5. श्रीमती ममता राकेश,
 6. काजी मौ० निजामुद्दीन,
 7. हाजी फुरकान अहमद,
 8. श्री राजकुमार,
 9. श्री आदेश सिंह चौहान।
1. विकसित राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड को खड़ा करने के लिए अवस्थापना विकास का कोई ढांचा बनाये जाने,
 2. उत्तराखण्ड की राजधानी के संबंध में कोई ठोस कदम उठाये जाने तथा राजधानी सभा आधुनिकतम व्यवस्थाओं से युक्त हो इस संबंध में कोई स्पष्ट नीति घोषित किये जाने,
 3. चार-धाम यात्रा पूरे वर्ष चले और यात्रायें सुरक्षित हों ताकि हमारी आर्थिकी बढें और श्रद्धालुओं को सभी तरह की व्यवस्था मिले, की कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
 4. प्रदेश में रोजगार की सम्भावनाओं को बढाने के लिए उत्तराखण्ड राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित किये जाने,
 5. आपदा के दौरान जो कोई क्षेत्र बर्बाद हुए थे उन्हें पुनः बसाने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित किये जाने,
 6. स्वच्छता अभियान के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति का निर्धारण किये जाने,
 7. महिलाओं को सुरक्षित रूप से यात्रा, आधी रात में निकलने पर उन्हें कोई भय न हो इस संबंध में कोई नीति घोषित किये जाने,
 8. प्रदेश में रोजगार के अवसर बढाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
 9. आपदा के दौरान जो गाँव खाली हो चुके हैं उनके पुर्नवास के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,
 10. नदियों की सफाई, नदियों के किनारे सौन्दर्यीकरण तथा नदियों के समस्त क्षेत्रों को पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में कोई नीति बनाये जाने,

11. जो जल स्रोत सूख चुके हैं उनको रिचार्ज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
12. पत्रकारों को आवासीय सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के संबंध में कोई ठोस नीति बनाये जाने,
13. अटल आयुष्मान योजना के तहत समूचे प्रदेश वासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किये जाने,
14. बी0पी0एल0 वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एम0आर0आई0 तथा डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,
15. शुद्ध पेयजल सभी को उपलब्ध हो सके इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाये जाने,
16. वर्ष 2018 में उत्तराखण्ड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कोई ठोस नीति बनाये जाने,
17. हल्द्वानी में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे हेतु गौलापार में आवंटित भूमि में बस अड्डे का निर्माण किये जाने,
18. विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी के अन्तर्गत योग केन्द्र खोले जाने,
19. प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा स्वीकृत अधूरी सड़कों को पूर्ण किये जाने,
20. विधान सभा क्षेत्र हल्द्वानी में जो पूर्व से स्वीकृत सड़के हैं का निर्माण कार्य कराये जाने,
21. भवाली में वर्ष 2010 में स्वीकृत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये जाने,
22. अमृत योजना के अन्तर्गत पेयजल एवं सीवर हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण किये जाने,
23. गन्ना किसानों के ऋण भुगतान की समस्याओं का समाधान किये जाने,
24. किसानों का कर्ज माफ किये जाने,

2. काजी मौ0 निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

- (1) गत तीन वर्षों से राज्य की वित्तीय प्रबन्धन खराब होने तथा सभी विभागों में तय बजट के सापेक्ष कम धन व्यय होने से बजट के आंकड़ों के सापेक्ष वास्तव में धन की उपलब्धता कम है, जिससे राज्य के विकास में बाधाएं उत्पन्न होने एवं इन परिस्थितियों में राज्य के वित्तीय प्रबन्धन को सुदृढ़ करने,
- (2) प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रू0 4000/- प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने,
- (3) प्रदेश के किसानों का सम्पूर्ण कर्ज माफ करने,

- (4) राज्य को ट्रैफिक जाम से मुक्त करने,
- (5) सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण राज्य में लगातार बन्द हो रहे उद्योगों को पुनः चलाने एवं कोई कार्ययोजना बनाने,
- (6) राज्य के वित्तीय विकास और बेरोजगारी दूर करने तथा नये उद्योगों को स्थापित करने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना बनाने,
- (7) प्रदेश के गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर चालू पैराई सत्र और गत वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान अविलम्ब करने,
- (8) प्रदेश में गत वर्षों की तुलना में बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए मौजूदा पैराई सत्र में गन्ने मूल्य स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार तय करने,
- (9) राज्य में किसानों से सिंचाई कर पूर्णतः समाप्त करने,
- (10) राज्य में उर्दू, पंजाबी, कुमाऊँनी, गढ़वाली भाषाओं के लिए अलग-अलग ऐकेडमी स्थापित करने,
- (11) SPQEM के अन्तर्गत मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की वर्षों से रुके हुए वेतन अविलम्ब देने,
- (12) सम्पत्ति के क्रय-विक्रय में लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी कम करने,
- (13) प्रदेश में सरकारी सेवाओं में एस0सी0, एस0टी0 एवं ओ0बी0सी0 के पुराने चलते आ रहे बैकलाग को यथाशीघ्र पूरा करने,
- (14) राज्य की क्षतिग्रस्त सड़कों की यथाशीघ्र मरम्मत अथवा पुनः बनाने,
- (15) नगरीय क्षेत्रों में एन0जी0टी0 के मानकों के अनुसार कूड़ा निस्तारण हेतु ट्रैकिंग ग्राउण्ड बनाने,
- (16) हरिद्वार महाकुम्भ में आने वाले यात्रियों के सुगम आवागमन हेतु यात्रियों की अनुमानित संख्या के अनुसार हरिद्वार की ओर जाने वाले सभी छोटे बड़े मार्गों को व्यवस्थित करने ताकि कुम्भ के समय जाम न लगने,
- (17) महाकुम्भ हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 में सरकार की ओर से धन की कमी होने। मार्च का महीना प्रारम्भ हो गया है और अब तक 50 प्रतिशत से काफी कम धन व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में महाकुम्भ को भव्य बनाने हेतु रुपये 1000/- करोड़ की व्यवस्था न करने,
- (18) जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर में मंगलौर का परिवहन बस अड्डे की स्थिति में सुधार किये जाने तथा यात्रियों के लिए सुविधायें प्रदान किये जाने तथा आधुनिक बनाने,

- (19) मंगलौर के अस्पताल में बेड बढ़ाये जाने,
- (20) मंगलौर में खेल का मैदान उपलब्ध कराने,
- (21) जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के ग्राम सीखर, मंगलौर में बने कालेज में विज्ञान डिग्री कालेज खोलने,
- (22) CHC गुरुकुल नारसन, मंगलौर को आधुनिक करने और ट्रामा सेंटर बनाने,
- (23) जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के पशु चिकित्सालय मंगलौर और गुरुकुल को आधुनिक कर स्टाफ की कमी को पूरा करने,
- (24) जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के समस्त विद्यालयों के भवनों का सर्वे करवा कर जीर्ण-शीर्ण भवनों के स्थान पर नये आधुनिक भवनों का निर्माण किये जाने,
- (25) Central ground water board ने ब्लाक भगवानपुर और ब्लाक बहादुराबाद को जल स्तर के आधार पर Semi critical घोषित किया है। इन ब्लाकों में Rain water harvesting और Recharging of ground water के लिए कार्ययोजना,
- (26) जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर के CHC में अल्ट्रासाउन्ड, एक्स-रे और कार्डियोलॉजी हेतु उपकरण,
- (27) जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर क्षेत्र में पुस्तकालय खोले जाने,
- (28) राज्य में मंहगाई कम करने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये टैक्स कम करने,

3 श्रीमती ममता राकेश

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित स्वीकृत मेडिकल कालेज के भवन निर्माण करने,
2. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में भगवानपुर में स्वीकृत तहसील के भवन का निर्माण के धनावंटन करने,
3. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में आश्रम पद्यति पर आधारित स्व० श्री सुरेन्द्र राकेश राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय के भवन का निर्माण करने,
4. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण करने,

5. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में महिला पालिटैक्निक खोले जाने,
6. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम वहबलपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करने,
7. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र की पानी की निकासी का स्थायी समाधान करने,
8. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम चुड़ियाला मोहनपुर में स्थापित बाबू कलिराम राकेश डिग्री कालेज में स्नातकोत्तर की कक्षाओं को संचालित करने,
9. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की स्थायी रूप से नियुक्ति करने,
10. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करने,
11. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में नवसृजित नगरपंचायत भगवानपुर में कूड़ा उठान, इस्टविन एवं कूड़ा उठान वाहन एवं सर्वसुलभ शौचालय के लिए कोई ठोस योजना बनाने,
12. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में गौशाला खोले जाने,
13. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिग्नल समस्या को देखते हुए मोबाईल टावर लगाये जाने,
14. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्को के सौन्दर्यीकरण करने,
15. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के गुरु रविदास मन्दिर व भगवान बाल्मिकी मन्दिरों का सौन्दर्यीकरण करने,
16. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति उपयोजना की धनराशि स्वीकृत कराये जाने व उसका उपयोग अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में करने,
17. राज्य में विधवा महिलाओं का उपचार निःशुल्क करने,
18. राज्य में विधवा महिलाओं के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आय के मानक समाप्त करने,
19. राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में आय के मानक 6000 करने
20. राज्य में प्रवर्तकता योजना में अनाथ/बेसहारा बच्चे जो विस्तारित कुटुम्ब के साथ रह रहे हैं अशक्त तथा गम्भीर रोग से ग्रसित, सजायाफ्ता माता पिता की संतान, विधवा/तलाकशुदा स्त्री परित्यक्ता, कुटुम्ब द्वारा परित्यक्त महिला के बालक/बालिकाओं को आर्थिक सहायता के रूप में शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु दो हजार रुपये प्रतिमाह में बच्चों के आय के मानक समाप्त करने,

21. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में शमशान घाट एवं कब्रिस्तान की चाहरदीवारी तथा प्रत्येक शमशान घाट में छत्री व कब्रिस्तान में जनाजा कक्ष तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने,
22. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के भगवानपुर में स्वीकृत बस अड्डे के का नाम स्व० सुरेन्द्र राकेश करने,
23. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में एक वाटर ए०टी०एम० लगाने,
24. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा के प्रत्येक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में पर्याप्त भवन, चाहरदीवारी, शौचालय, सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने,
25. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण करने,
26. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी गरीब परिवारों एवं किसानों का बिजली बिल माफ करने,
27. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त समस्त पुलिया का पुनर्निर्माण बरसात से पहले अतिशीघ्र करने,
28. जनपद हरिद्वार में भगवानपुर से हरिद्वार तक कांवड़ मेला क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर हैण्डपम्प व शौचालयों का निर्माण करने,
29. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में चिकनगुनिया, डेंगू एवं मच्छरों से निजात पाने के लिए कोई ठोस कदम उठाये जाने,
30. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने तथा वर्किंग वूमैन के लिए हास्टल का निर्माण कराये जाने,
31. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में योग केन्द्र खोले जाने,
32. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में स्वीकृत सड़कों का अतिशीघ्र निर्माण कराये जाने,
33. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कोई ठोस कदम न उठाये जाने,
34. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में खेल के मैदानों का निर्माण करने,
35. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तालाबों का सौन्दर्यीकरण एवं चारों ओर रैलिंग की व्यवस्था करने,
36. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज छपुर शेर अफगानपुर में अध्यापकों की नियुक्ति करने,
37. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गाँव में पशु अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराने,

38. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के सभी गावों में सरकारी सेवाओं की तैयारियों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेण्टरों की स्थापना करने,
39. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आने-जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य परिवहनों की बसों में निःशुल्क यात्रा कराये जाने,
40. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि एवं दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त किसानों की फसलों का मुआवजा प्रदान किये जाने,
41. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु नलकूपों का निर्माण करने,
42. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आन्तरिक मार्गों की मरम्मत एवं जल निकासी के लिए कोई ठोस कार्ययोजना बनाने,
43. जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इंजीनियरिंग एवं बी0एससी0 के अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को लैपटाप उपलब्ध कराने,
44. राज्य में दिव्यांगों को स्वाबलम्बी बनाये जाने हेतु ठोस नीति बनाने,
45. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर की समस्त सड़कों को बनाने,
46. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में अलावलपुर ग्राम में कक्षा 9 से 12 तक नवीन इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना करने,
47. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में ग्राम छपुर शेरअफगानपुर, मानपुर आदमपुर एवं धीरमजरा में संचालित जूनियर हाई स्कूलों को इण्टरमीडिएट स्तर तक उच्चीकरण करने,

4. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

“किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है:-

1. सरकार द्वारा गैरसैन में राजधानी की स्पष्ट घोषणा की कोई नीति,
2. जनपद अल्मोड़ा के हरिप्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान गुरडाबांज जो पूर्व कांग्रेस सरकार में स्वीकृत था, जिसमें 3 करोड़ रुपये खर्च भी हो गये हैं उसे तत्काल शुरू करने हेतु बजट की व्यवस्था करने,
3. भांगाधोली में फडका मोतियापाथर पंपिंग योजना के सम्बन्ध में कोई कार्ययोजना,
4. जनपद बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में पम्पिंग योजना पर भी कोई कार्ययोजना,

5. जनपद अल्मोड़ा के गैराड गुरडाबांज पम्पिंग योजना पर कार्ययोजना,
6. विधान सभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत निसनी से कत्यारी मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने,
7. जनपद अल्मोड़ा के जैती बाजधार मल्ली बिनोला से तल्ली बिनोला तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य के योजना,
8. जनपद अल्मोड़ा के पूनगड नाटाडोल मोटर मार्ग के दयाल बैंड से तल्ला गाँव तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य की कार्य योजना,
9. जनपद अल्मोड़ा के जाख से गणांड दाडिमी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य की कार्य योजना,
10. जनपद अल्मोड़ा के दन्या डसीली मोटर मार्ग से ग्राम गौली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य योजना,
11. जनपद अल्मोड़ा के चनोली से नगरखानं मोटर मार्ग का निर्माण कार्य योजना,
12. जनपद अल्मोड़ा के संवाखानं दोडम चलनीछीना छडोज मोटर मार्ग के कि०मी० 14,15 एवं 16 भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के वैकल्पिक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य योजना,।

5. श्री आदेश सिंह चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किये जाने,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे स्टेडियम का निर्माण कार्य किये जाने,
3. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में अधूरे तहसील भवन को पूर्ण किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में उप जिलाधिकारी कार्यालय का निर्माण किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों का निर्माण किये जाने,
6. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में पालिटैक्निक कालेज का निर्माण किये जाने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में नदियों से होने वाले कटान को रोकने के लिए तटबन्ध बनाये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण किये जाने,

9. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर नगर पालिका में सीवर लाईन की व्यवस्था किये जाने,
10. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर शहर में रोडवेज स्टेशन की स्थापना किये जाने,
11. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर विधान सभा क्षेत्र में वहेड़ी पेयजल व गढ़ी नेगी पेयजल की क्षतिग्रस्त लाईनों को ठीक किये जाने,
12. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर नगर पालिका में पेयजल व्यवस्था को ठीक किये जाने व पेयजल व्यवस्था का द्वितीय फेज आरम्भ किये जाने,
13. जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा जसपुर क्षेत्र के ग्राम वासियों को उनकी कृषि भूमि पर मालिकाना हक दिलाये जाने,
14. जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा जसपुर क्षेत्र के ढांम क्षेत्र में बसे लोगों को ग्राम सभा से जोड़े जाने,
15. प्रदेश में गेहूँ का समर्थन मूल्य रु0 2200.00 प्रति कुन्तल किये जाने,

6- श्री फुरकान अहमदप्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर में पुरानी गंगनहर के पुल जो क्षतिग्रस्त हैं, उसको मरम्मत कराकर ठीक कराये जाने,
2. जनपद हरिद्वार के पाउली गुज्जर तेल्लीवाला के पास रेलवे पुल का निर्माण कराये जाने,
3. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर विधान सभा या मेहवड में स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
4. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर नगर पंचायत में पानी की टंकी व पाईप लाईन का निर्माण कराये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के रामपुर व पाउली गुज्जर तेल्लीवाला शफीपुर सुनौरा में अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल का टैंक व पाईप लाईन व सीवर का निर्माण किये जाने,
6. प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किये जाने,
7. प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ किये जाने,
8. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर विधान सभा में हलवेड़ी तिराहे के सामने से रुड़की बाईपास हरिद्वार रोड पर रतमऊ नदी पर सड़क एवं सेतु का निर्माण किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर विधान सभा में हकीमपुर तुरी से पुहाना इकबालपुर की ओर सौलानी नदी पर सेतु एवं सड़क का निर्माण किये जाने,

10. मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने,
11. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर शरीफ को पाँचवे धाम के रूप में घोषित किये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पिरान कलियर में सीवर लाईन बनाये जाने,
13. जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर शरीफ के वार्षिक मेले को सरकारी मेला घोषित किये जाने,
14. राज्य के सभी मुस्लिम एवं ईसाईयों के कब्रिस्तान व शमशान घाट की चारदीवारी का निर्माण किये जाने,
15. जनपद हरिद्वार की नदियों जैसे सौलानी नदी, रतमऊ आदि नदियों के किनारे पैचिंग, तटबन्ध का निर्माण किये जाने,
16. जनपद हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर में पुरानी बंद पड़ी नहर धनौरी से रुड़की तक नौका विहार एवं कृत्रिम झील का निर्माण किये जाने,
17. जनपद हरिद्वार के रुड़की में अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल का निर्माण किये जाने,
18. जनपद हरिद्वार में तहसील रुड़की को जिला बनाये जाने,

7- श्री राजकुमार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. यमुनाघाटी (पुरोला) में जिला बनाये जाने,
2. औद्योगिक क्षेत्र में सत्तर प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं को दिये जाने,
3. देवभूमि उत्तराखण्ड को शराबमुक्त किये जाने,
4. उत्तराखण्ड में पूर्ण रूप से शराब में प्रतिबन्ध लगाये जाने,
5. प्रदेश के गन्ना किसानों से किये गये वादों को पूर्ण किये जाने,
6. उत्तराखण्ड के किसानों का कर्ज माफ किये जाने,
7. प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट नीति बनाये जाने,
8. आपदा के दौरान जिन क्षेत्रों में क्षति हुई है उनको पुनः स्थापित किये जाने हेतु समय सीमा स्थापित किये जाने,
9. अटल आयुष्मान योजना के तहत समूचे प्रदेश वासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान किये जाने,
10. अटल आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों को सरकारी अस्पताल से रेफर किये जाने की बाध्यता को समाप्त किये जाने,
11. जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड के डामटा में लोक निर्माण विभाग का अतिथि गृह का निर्माण किये जाने,
12. जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड कफनोल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का उच्चीकरण किये जाने,

13. जनपद उत्तरकाशी के नौगांव स्योरी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने,
14. जनपद उत्तरकाशी के धारी कलोगी में सहकारी समिति बैंक का गठन किये जाने,
15. जनपद उत्तरकाशी के नौगांव नगर पंचायत में पार्किंग व्यवस्था किये जाने,
16. जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में शौचालय की व्यवस्था किये जाने।
17. जनपद उत्तरकाशी के नौगांव विकासखण्ड में नौगांव में स्योरी सड़क का निर्माण किये जाने,
18. जनपद उत्तरकाशी के नौगांव नगर पंचायत में कम्युनिटी हाल खोले जाने,
19. जनपद उत्तरकाशी के नौगांव में लम्बित पड़ी मण्डी की शुरुआत किये जाने,
20. जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव के डामटा में लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस की स्थापना किये जाने,
21. यमुनाघाटी में एक स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना किये जाने,
22. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला में स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
23. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में कम्युनिटी हाल खोले जाने,
24. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला नगर पंचायत में पार्किंग बनाये जाने,
25. जनपद उत्तरकाशी के नौगांव विकासखण्ड में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
26. जनपद उत्तरकाशी के यमुना घाटी (पुरोला) में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने,
27. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में एक महिला विश्वविद्यालय खोले जाने,
28. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना किये जाने,
29. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में पालिटैक्निक कालेज खोले जाने,
30. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में ग्राम सभा कोरना गांव को विस्थापित किये जाने,
31. जनपद उत्तरकाशी के नौगांव विकासखण्ड के ग्राम सभा कपनौला गांव के ग्रामीणों को विस्थापित किये जाने,
32. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के गड़ोली क्षेत्र में देहरादून से राजगढ़ी रोडवेज सेवा लगाये जाने,
33. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा के विकासखण्ड मोरी के ग्राम मैजाणी से भटाबू मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
34. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा के मोरी विकासखण्ड के साकरी में तालुका औसला तक मोटरमार्ग का निर्माण किये जाने,

35. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने,
36. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के अंतर्गत कार्य करने वाले हाईड्रो प्रोजेक्ट में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने,
37. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के अंतर्गत सेब का उत्पादन भारी मात्रा में होता है लेकिन बरसात अत्यधिक होने के कारण सड़के टूट जाती है जिस कारण कास्तकारों व सेब उत्पादकों का सेब सड़ जाता है, इसके लिए फलों के संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना किये जाने,
38. प्रदेश में हिमाचल की भांति ही सेब का समर्थन मूल्य तय किये जाने,
39. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में सरकारी सेवा में नौकरी हेतु प्रत्येक ब्लाक स्तर पर फ्री कोचिंग सेंटर खोले जाने,
40. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकासखण्ड के कामरा शाखाल रोड की स्वीकृति किये जाने,
41. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा में कन्ताड़ी से गोदूका मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने,
42. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में विकासखण्ड नौगांव के कन्सोला से दौनी मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने,
43. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला में आई0टी0आई0 कालेज का भवन निर्माण किये जाने,
44. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला अगोड़ा श्रीकोट मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
45. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला में राजकीय बालिका इंटर कालेज भवन का निर्माण किये जाने,
46. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला में करणा से शिकारू मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
47. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के आरोकोट में मण्डी की स्थापना किये जाने,
48. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में ठडियार पुल का निर्माण किये जाने,
49. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के विकासखण्ड नौगांव के धारीकलोगी में सहकारी बैंक की स्थापना किये जाने,
50. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में विकासखण्ड नौगांव के कपनौल हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,
51. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा में मोरी विकासखण्ड के खरसाड़ी गडू गाड इंटर कालेज के भवन का निर्माण किये जाने,
52. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकासखण्ड मोरी के राजकीय इंटर कालेज मोरी के भवन निर्माण किये जाने,
53. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकासखण्ड मोरी के नैटवाड़ राजकीय इंटर कालेज के भवन निर्माण किये जाने,

54. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकासखण्ड मोरी के टिकोची राजकीय इंटर कालेज के भवन निर्माण किये जाने,
55. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला नौगांव विकासखण्ड के राजकीय इंटर कालेज नौगांव के भवन निर्माण किये जाने,
56. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकासखण्ड नौगांव के कन्या जूनियर हाईस्कूल मराड़ी का उच्चीकरण किये जाने,
57. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकासखण्ड नौगांव के राजकीय इंटर कालेज कण्डारी के भवन का निर्माण किये जाने,
58. जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के मोरी में देवजानी जुवाणु को केदार कांडा के लिए पर्यटक क्षेत्र घोषित किये जाने,
59. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के मोरी के आराकोट क्षेत्र में आयी आपदा से ग्रसित लोगों को मुआवजा प्रदान किये जाने,
60. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के मोरी के आराकोट क्षेत्र में आयी आपदा से छः परिवारों का पुर्नवास किये जाने,
61. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के आराकोट क्षेत्र से जिला रो ठडियार, खूनी गाड तक की स्वीकृति किये जाने,
62. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र की मोरी से झाकरी तक रोड का डामरीकरण किये जाने,
63. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के मोरी आराकोट में आई आपदा से सेब का समर्थन मूल्य घोषित किये जाने,
64. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के आराकोट क्षेत्र की लोक निर्माण विभाग की सड़कों की स्वीकृति किये जाने,
65. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के मोरी के आराकोट क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण कार्य किये जाने,
66. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के मोरी आराकोट टिकोची राजकीय इंटरमीडिएट कालेज का निर्माण कार्य किये जाने,
67. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के पुरोला में पुरोला से गुदियार गांव तक रोड के चौड़ीकरण की स्वीकृति किये जाने,
68. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के पुरोला के गुदियाल गांव में विश्राम भवन के निर्माण कार्य किये जाने,
69. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के पुरोला स्टेडियम की चारदीवारी निर्माण कार्य की स्वीकृति किये जाने,
70. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के शाखाल नाडा को जाने वाली रोड की स्वीकृति किये जाने,
71. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र की डामटा क्षेत्र के वाजा में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किये जाने,
72. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नौगांव के सारीगाड में सार्वजनिक शौचालय की स्वीकृति किये जाने,
73. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड नौगांव के सारीगाड में सारी नहर का निर्माण कार्य किये जाने,

74. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के बनीगाड सार्वजनिक शौचालय की स्वीकृति किये जाने,
75. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के बनीगाड में ट्रामा सेंटर की स्वीकृति किये जाने,
76. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के नौगांव क्षेत्र के ग्राम भौती की सड़क की स्वीकृति किये जाने,
77. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के झुबा में सार्वजनिक शौचालय की स्वीकृति किये जाने,
78. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा के नौगांव क्षेत्र को स्योरी का पर्यटन क्षेत्र घोषित किये जाने,
79. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र नौगांव नगर पंचायत को नगर पालिका घोषित किये जाने,
80. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के नौगांव के पलेटा खानसी रोड का डामरीकरण किये जाने,
81. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के विला से वजलाड़ी रोड के डामरीकरण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
82. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के नौगांव में ट्रामा सेंटर खोले जाने,
83. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के नौगांव में हाईटेक शौचालय बनाये जाने,
84. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के स्योरी क्षेत्र में होने वाले सेब का समर्थन मूल्य घोषित किये जाने,
85. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के नौगांव क्षेत्र में नौनारा नहर की स्वीकृति किये जाने,
86. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के घाटी कालोनी क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के विश्राम भवन की स्वीकृति किये जाने,
87. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के कफनोल में राजकीय इंटर कालेज के भवन के निर्माण की स्वीकृति किये जाने,
88. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के नौगांव क्षेत्र को बागवानी क्षेत्र घोषित किये जाने,
89. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के नौगांव के केसारीखण्ड से कुड़क्वाड़ी तक रोड की स्वीकृति किये जाने,
90. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के पुरोला लमकोटी रोड की स्वीकृति किये जाने,
91. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के सारीगाड से कण्डारी गांव तक मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
92. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र एन0एच0 रिखाऊखण्ड से रिखाऊ तक रोड का डामरीकरण एवं स्वीकृति किये जाने,

93. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के नौगांव टूईक से कम्हारी तक मोटरमार्ग का डामरीकरण किये जाने,
94. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के कम्हारी से उपलीभली तक रोड के डामरीकरण किये जाने,
95. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के पुरोला में काडा सिकारु मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
96. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के वनीगाड के डिग्री कालेज की स्वीकृति किये जाने,
97. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के भेड़ पालकों के लिए मैदानी इलाकों में परमिट की व्यवस्था किये जाने,
98. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के मोरी अस्पताल का उच्चीकरण किये जाने,
99. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के मोरी को नगर पंचायत घोषित किये जाने,
100. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मोरी पुरोला मोटर मार्ग ग्यारह बैण्ड से डाण्डागांव कुमणाई तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
101. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मोरी सतरा से खेड़मी, भटाड़ी, बिंगसारी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
102. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत देवजानी से जीवाणु पीपड़ी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
103. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आराकोट से छतरी ठडियार मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
104. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किरौली मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
105. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मोल्डी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
106. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत टिकोची में इंटर कालेज भवन का निर्माण किये जाने,
107. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत टिकोची अस्पताल के भवन का निर्माण किये जाने,
108. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कोठिण्डाधार मोटर मार्ग के पुल के निर्माण किये जाने,
109. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किराणु दुवाणु मोटर मार्ग के पुल के निर्माण किये जाने,
110. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मलाणा मोटर मार्ग के पुल के निर्माण किये जाने,
111. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भराड़ी ऐराला गार्डर पुल के निर्माण किये जाने,

112. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत टिकोची गार्डर पुल के निर्माण किये जाने,
113. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मोरी में पालिटैक्निक कालेज की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
114. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत साकरी इंटर कालेज भवन के निर्माण किये जाने,
115. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जखोली इंटर कालेज भवन के निर्माण किये जाने,
116. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जखोल से लिवाड़ी खेताड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं मोटर पुलों का निर्माण किये जाने,
117. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ओसला, गंगाड़, पंवाणी डाटमीर मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
118. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सिरगा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
119. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत साऊणी-सटूड़ी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
120. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राला में मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने,
121. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कलाप में मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
122. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नुराणु मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
123. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हड़वाड़ी सेवा बरी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
124. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत लुदराला कुनारा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
125. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कन्ताड़ी से गोठुका मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
126. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हुडोली गैण्ड से तिलाली मोटर मार्ग के निर्माण किये जाने,
127. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सुईल से नैली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
128. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत चंदोली मिनी कोल्ड स्टोर का निर्माण किये जाने,
129. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खलाड़ी पुरोला मिनी कलैक्शन सेंटर का निर्माण किये जाने,
130. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुब्दियाट गांव से कमलेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
131. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नौगांव मुगरापुल यमुना नदी के किनारे स्नान घाट का निर्माण किये जाने,

132. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय इन्टर कालेज हुड़ोली में खेल मैदान व बाउन्डीवाला का निर्माण किये जाने,
133. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नौगांव में पेयजल व्यवस्था हेतु लिफ्ट योजना की स्वीकृति किये जाने,
134. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सरबडियार मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
135. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पुरोला विकासखण्ड के मुख्य भवन का निर्माण किये जाने,
136. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पुरोला आई0टी0आई0 कालेज के भवन का निर्माण किये जाने,
137. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नौगांव महिला पालिटैक्निक के भवन निर्माण किये जाने,
138. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बेस्टी से रामा बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
139. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत फ्वाण गांव मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
140. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भौंति मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
141. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ठेलिका से दारसो मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
142. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत हिमरोल से दारसूं मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
143. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तिया से देवराणा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
144. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पालूका-संगोली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
145. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत छमरोटा से भंकोली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
146. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नौगांव बिंगसी-स्योरी मोटर मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने,
147. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बगासू से बलाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
148. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बिगराड़ी, काण्डा, डेल्डा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
149. जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खान्सी से मोल्डा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

8- श्री राजकुमार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के धापा से सांईपोलो, गिनीबैण्ड से गिनीगांव, जोशा से गांधी नगर, वल्थी से बाता उम डांडा, वमन गांव से सेमली, खुलीबैण्ड से सरमोला, बांसबगड़ से पोस्थी, क्वीटी से मोहरम, सेलचामी से जरथी, सेलमाली से एस0सी0 बस्ती दाखिम कुरवा, सेरा से सिलिंग खरतोली, दारमा से आलम, भवानी से घरोड़ी मनकोट, चामी से मेलती कनार, लुमती से मल्ला लुमती, बरमबोगई से पातल, बलवाकोट से पोखरी, बलवाकोट से कांडा, बलवाकोट से थोड़ालेक, गलाती से कटौचिया, दरतेजम से यलदौंग, नारायण आश्रम से पस्ती, सिरदांग से रूंग, नापड़ से नौड़ा सड़कों का निर्माण किये जाने,
2. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के राजकीय इंटर कालेज डोर, नाचनी, बगीचाबगड़, जोशा, उछेती, विरथी, पन्द्रपाला, बांसबगड़, मुनस्यारी, खतेड़ा, भैंसकोट के भवन निर्माण किये जाने,
3. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के बालिका इंटर कालेज, नमजला, धारचूला, बीनाधार के भवन निर्माण किये जाने,
4. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के इंटर कालेज पय्यापोडी, स्याकुरी, खेत, जयकोट, मातम कैलाश, पंगला, पांगू के भवन निर्माण किये जाने,
5. माध्यमिक विद्यालय दर का निर्माण किये जाने,
6. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के जूनियर हाईस्कूल नामिक के भवन निर्माण किये जाने,
7. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तहसील भवन बंगापानी, तेजम के भवन निर्माण किये जाने।
8. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के पं० नैन सिंह, बलाती सहासिक पर्यटन भवन के अधूरे भवन का निर्माण कार्य किये जाने,
9. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के मुनस्यारी से खलियाटाप रोपवे के निर्माण किया जाने,
10. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के ओम पर्वत से आदि कैलाश, होकरा देवी, भराड़ी और छिपला कोट को चारधाम योजना के तहत जोड़े जाने,
11. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के ओम पर्वत से आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी, भराड़ी में पैदल रास्तों में पेयजल व्यवस्था, यात्री हट के निर्माण किये जाने,
12. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के आदि कैलाश, छिपला कोट, होकरा देवी एवं भराड़ी में नमामि गंगे की तर्ज पर स्नान घाटों का निर्माण किये जाने,
13. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के दारमा, चौदास, व्यास मल्ला जौहार व रालम क्षेत्र को पैदल, पेयजल, व मोबाईल सेवा से जोड़े जाने उक्त में छः माह राशन सरकारी रेट पर अवमुक्त करने एवं छः माह निःशुल्क हैली सेवा उपलब्ध कराये जाने,

14. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के मुनस्यारी के समस्त विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने एवं प्रदेश के समस्त विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गोरिल्लाओं को नियुक्ति दिये जाने,
15. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के पशु चिकित्सालय केन्द्रों में पशु एवं पशुधन अधिकारी की नियुक्ति किया जाने,
16. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के समस्त अस्पतालों में चिकित्सक (पुरुष/महिला), फार्मासिस्ट, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 की नियुक्ति किये जाने,
17. विधान सभा धारचूला के समस्त क्षेत्रों को मोबाईल नेटवर्क से जोड़ा जाने,
18. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के बंगापानी व तेजम तहसील में स्थाई तहसीलदारों की नियुक्ति किये जाने,
19. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के धारचूला, मुनस्यारी के समस्त गांवों में पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किये जाने,
20. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तल्ला छारछूम से मल्ला छारछूम, चामी, लुंगती, छोड़ीबगड़, शेराघाट, मदकोट, सिरमोला, नाचनी, तेजम, बांसबगड़, दानीबगड़, बिखोरिया, धारचूला टाउन में आर्मी कैम्प में तटबन्ध निर्माण किये जाने,
21. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के मुनस्यारी के खलियाटाप में औली की तर्ज पर स्केटिंग को बढ़ाया देने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने,
22. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के दारमा क्षेत्र के पंचाचुली बेस कैम्प में होम स्टे योजना आरम्भ किये जाने,
23. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के वर्ष 2018-19 की आपदा से क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा व पुनर्निर्माण कार्य किये जाने,
24. लम्बित विद्युत परियोजना, एन0एच0पी0सी0, टी0एच0डी0सी0, एन0टी0पी0सी0 को पूर्ण किये जाने,
25. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के धारचूला के दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को अतिरिक्त हाई एल्टिट्यूट भत्ता एवं उनके परिजनों को शहरी क्षेत्र में आवास सुविधा प्रदान किये जाने,
26. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के गूंजी, दारमा, चौदास, रालम, चौहान क्षेत्र में नियुक्त पुलिस के जवानों को सेना की तरह अतिरिक्त भत्ते दिये जाने,
27. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के मुनस्यारी में मिनी टैक्सटाइल पार्क का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,
28. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के नगर पालिका धारचूला में ग्वाल गांव को सीवर लाईन से जोड़े जाने,

29. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोखरी सड़क का निर्माण किये जाने,
30. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कांडा बलुवाकोट सड़क का निर्माण किये जाने,
31. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट भोड़ा लेक सड़क का निर्माण किये जाने,
32. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में धारचूला से राँभी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
33. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बलुवाकोट पय्यापौड़ी सड़क का चौड़ीकरण किये जाने,
34. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में कन्जोती से सुवा तक सड़क का निर्माण किये जाने,
35. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती तक सड़क का निर्माण किये जाने,
36. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बरम से कनार तक सड़क का निर्माण किये जाने,
37. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चामी, मेतली, खेतीखान, देवलेख, थरपटा सड़कों के निर्माण किये जाने,
38. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लुमती से धरुड़ी मनकोट, बथोला तक सड़क का निर्माण किये जाने,
39. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरा से सिंलिंग खड़तोली सड़क का निर्माण किये जाने,
40. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में आलम दारमा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
41. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भवानी से मदरपा होते हुए धामी गांव तक सड़क का निर्माण किये जाने,
42. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेराघात से गोल्फा बोना मोटर मार्ग में पुलों के निर्माण किये जाने,
43. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में दानीबगड़ में टांगा, भिकरिया के लिए पुलों का निर्माण किये जाने,
44. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में फापा से उच्छैती तक सड़क निर्माण किये जाने,
45. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में उच्छैती से टिमिटिमिया मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
46. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में क्वीरीथिमिपा साईपोलो, साईधुत तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
47. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
48. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बल्थी से वाता उमडाणा मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

49. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मदकोट से रोपाड़ तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
50. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में रिपू ग्राम सधा में ओखली और स्पलतिंग सड़क का निर्माण कार्य किये जाने,
51. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में मानीटुण्डी में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
52. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भदेली से मल्ला भदेली सड़क मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
53. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में चौना मालपाती भराड़ी मंदिर पापड़ी मोटर मार्ग निर्माण कार्य किये जाने,
54. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में गिनीबैण्ड से गिनीगांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
55. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में बिरथी से दाफा सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
56. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सैरणामी से बरथी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
57. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में क्वीटी से सैमली सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
58. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में डोर से रूइसपाता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
59. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तेजम से नोटागांव सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
60. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से छेतगाड़ी सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
61. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से दुधधड़ तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
62. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में भैसकोट से बसानी तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
63. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में तोला भैसकोट से तल्ला भैसकोट तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
64. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में राया बफेता सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
65. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सेलमाली से कुरवा तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
66. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सीड़ीचामा क्षेत्र में आंतरिक सड़क निर्माण कार्य किये जाने,
67. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में लीती से नामिक सड़क व पुल निर्माण कार्य किये जाने,
68. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के तहसील धारचूला, तहसील बंगापानी, तहसील मुन्स्यारी तहसील तेजम के

समस्त आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि व पुनर्वास की व्यवस्था किये जाने,

69. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति किये जाने,
70. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने,
71. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में विद्यालयों के भवन निर्माण किये जाने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,
72. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में पेयजल की सुचारु व्यवस्था किये जाने,
73. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के पर्यटक क्षेत्र धारचूला के पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
74. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में आदि कैलाश तथा ओम पर्वत जैसे आस्था के केन्द्रों हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
75. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
76. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में प्रसिद्ध आलू उत्पादक क्षेत्र (बंगातीफार्म) के लिए धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
77. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में माईग्रेट ग्राम क्षेत्र रालम के लिए पैदल रास्ते व पुल निर्माण किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने,
78. जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नेटवर्क से वंचित समस्त विधान सभा क्षेत्र को नेटवर्क से जोड़ने हेतु धन की व्यवस्था किये जाने,

9. श्री प्रीतम सिंह पंवार

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तराखण्ड की स्थायी राजधानी गैरसैण को घोषित करने,
2. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए अलग से नीति बनाने व रियायत देने,
3. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा उपकरणों सहित चिकित्सा शिविर एवं मोबाईल चिकित्सा वाहन के जरिए निश्चित तिथियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने,
4. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली छोटी-बड़ी नदियों के किनारे बसे गांवों को पेयजल व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिफ्ट योजनाओं का निर्माण करने,

5. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों व घायलों को पूरे राज्य में अलग-अलग सहायता उपलब्ध कराये जाने के बजाय एक समान सहायता देने,
6. उत्तराखण्ड के सीमान्त जनपदों में निवास करने वाले बाहरी व्यक्तियों का पुलिस सत्यापन व परिचय पत्र जारी करने,
7. पर्वतीय क्षेत्रों में औषधीय गुणों से परिपूर्ण मुख्य फसलों व फलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने,
8. प्रदेश के चारधामों यथा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ व बद्रीनाथ के विकास के लिए पृथक से बजट में प्राविधान करने,
9. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्थित धार्मिक व पर्यटक स्थलों तथा पौराणिक मन्दिरों को चिन्हित कर उनके विकास व संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाने,
10. पर्यटन को बढ़ावा देने एवं संस्कृति संरक्षण के लिए आयोजित होने वाले मेलों को एक समान अनुदान देने,
11. देश की सीमाओं में शहीद होने वाले सैनिकों के स्मारक जनपद मुख्यालयों में बनाने एवं विद्यालयों एवं सड़कों के नाम उनकी स्मृति में रखने,
12. गेस्ट टीचरों को तत्काल नियमित करने,
13. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/आशा कार्यकर्त्री/भोजनमाताओं तथा ग्राम प्रहरियों के मानदेय बढ़ाने,
13. एस0एस0बी0 प्रशिक्षित गुरिल्लों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिलाने,
15. चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों एवं आश्रितों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिये जाने,
16. टिहरी बाँध झील से प्रभावित गांवों की समस्याओं के निराकरण करने,
17. राज्य की क्षतिग्रस्त सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं के पुर्ननिर्माण करने,
18. विधान सभा क्षेत्र धनोल्डी के वि0ख0 थौलधार के नकोट-धमाडी में पेयजल योजना निर्माण कार्य करने,
19. दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पतियों जिनका पुर्ननिर्माण नहीं हो पाया है उनके पुर्ननिर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने तथा मानकों में आवश्यक शिथिलता प्रदान करने,
20. उत्तराखण्ड राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठेस रोजगार नीति बनाने,
21. राज्य के पर्वतीय जनपदों में भी उद्योगों की स्थापना करने,
22. राज्य के महिलाओं के उत्थान हेतु योजना बनाने,

23. राज्य में स्वजल परियोजना को यथावत रखने,
24. राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत आउट सोर्स कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन दिये जाने तथा नियमित करने,
25. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड मुख्यालय थत्पूड़ (जौनपुर) में केन्द्रीय विद्यालय खोलने,
26. जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड मुख्यालय थत्पूड़ (जौनपुर) तथा थौलधार में मिनी स्टेडियम बनाने,
27. विधान सभा धनोली के धनोली-मोरियाणा, देवलसारी, नागटिब्बा व मसूरी खट्टा पानी को पर्यटन सर्किट घोषित करने,
28. विधानसभा क्षेत्र धनोली के थत्पूड़, नैनबाग तथा कण्डीसौड़, कमान्द में मिनी सब्जी मण्डियों की स्थापना करने,
29. जनपद टिहरी गढ़वाल के राजकीय महाविद्यालय कमान्द में भवन निर्माण करने तथा स्वीकृत रिक्त पदों पर प्रवक्ताओं के पदों को भरने,
30. विधान सभा क्षेत्र धनोली के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवान, का भवन निर्माण करने,
31. विधान सभा क्षेत्र धनोली क्षेत्र सहित राज्य के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सक व पैरामेडिकल के रिक्त पदों को भरने,
32. सुआखोली-अलमस-भवान-नगुण मोटरमार्ग के मध्य मोरियाणा अथवा क्यारदा -डडोली में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने,
33. विधान सभा क्षेत्र धनोली के धनोली से मोरियाणा तक मोटर मार्ग को वन विभाग से लोक निर्माण विभाग में परिवर्तन कर निर्माण करने,
34. विधान सभा क्षेत्र धनोली के भवान-गवाणा-डामणी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 24 मी० स्पान व 36 मी० स्पान स्टील गार्डर सेतु सहित निर्माण करने,
35. विधान सभा क्षेत्र धनोली के विकासखण्ड जौनपुर में छनाणगांव के भीमलकी चलोटी में क्षतिग्रस्त 90 मी० पैदल झूला पुल का निर्माण करने,
36. विधान सभा क्षेत्र धनोली के वि०ख० जौनपुर के ग्राम सभा खट्ट से मोलखेत मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य करने,
37. विधान सभा क्षेत्र धनोली के वि०ख० जौनपुर के साटागाड बैण्ड से फेडी किमोड़ा तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने,
38. विधान सभा क्षेत्र धनोली के वि०ख० जौनपुर में मसोन-काण्डी-द्वारगढ़ हल्का वाहन मोटर मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण (द्वितीय चरण) कार्य करने

39. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के के अन्तर्गत सुआखोली अलमस-भवान-नगुण मोटरमार्ग कुल लम्बाई 57 किमी भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने,
40. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के वि०ख० जौनपुर के भवान-साटागाड मोटर मार्ग का डामरीकरण (प्रथम चरण) कार्य करने,
41. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के वि०ख० जौनपुर के अन्तर्गत श्रीपुर मथेट मय नारायणगांव, ल्वारखा धौलगिरी तक मोटर मार्ग का (द्वितीय चरण) निर्माण करने
42. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत अगिण्डा से घिना तक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण कार्य करने,
43. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत अगलाड-थत्यूड मोटर मार्ग का सुदृढीकरण करने,
44. विधान सभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत मुन्दणी से ऐरी तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण) कार्य करने,
45. विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वि.ख. थौलधार के गैर से कौगी, कौगी से खाद तक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) निर्माण करने,
46. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के विद्यालय बाण्डाचक-धुत्तु बैण्ड से डामणी मथलाऊ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) का करने,
47. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के घण्डियाला से सरतली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (द्वितीय चरण) का करने,
48. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. थौलधार के अन्तर्गत चम्बा-धरासू के अन्तर्गत कि.मी. 64 से सैनसारी-नवागांव-मंजाकोट मोटर मार्ग के अवशेष भाग (द्वितीय चरण) का निर्माण करने,
49. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. थौलधार के उनियालगांव से सरोट तक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य करने,
50. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के अन्तर्गत रायपुर कुमालडा, कददूखाल के कि.मी. 35 से सतेंगल मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण कार्य करने,
51. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत सुवाखोली से क्यारा होते रायपुर तक मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य करने,
52. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के के अन्तर्गत वि.ख. थौलधार के लालूरी घियाकोटी क्यार्दा की चली तक मिसिंग लिंक मोटर मार्ग का द्वितीय चरण कार्य करने,
53. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अन्तर्गत वि.ख. थौलधार मैण्डखाल से गैर नगुण के मोटर मार्ग के लवाणी से गाफर तक मोटर मार्ग निर्माण (द्वितीय चरण) का कार्य करने,

54. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के अर्न्तगत मैण्डखाल से खाद,साबली (जौनपुर) मोटर मार्ग एवं अलमस-भवन नगुण मोटर मार्ग के मध्य मिंसिंग लिंक मोटर मार्ग (द्वितीय चरण) का निर्माण करने,
55. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के तौलियाकाटल के सौन्दणा ग्राम में सौंग नदी पर 62 मी. पुल निर्माण कार्य करने,
56. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के ग्राम फिडोगी के ग्राम बुरांस खण्डा से आलूचक के चलीधार, पत्थर खोल, जवाला, मानीधार होते हुए बन्दरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य करने,
57. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर के दुधली से डिबोगी तक मोटर मार्ग का डामरीकरण कार्य करने,
58. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. थौलधार में बगियाल से जुखाड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य करने,
59. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. जौनपुर में कैम्पटी फाल के निकट मोटर पार्किंग हेतु मोटर मार्ग का चौडीकरण एवं सुरक्षा दीवार निर्माण (द्वितीय चरण) का कार्य करने,
60. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के वि.ख. थौलधार के अर्न्तगत घुघती ढुंगा धमाडी मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण कार्य करने,
61. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार लेंगर्थ से भोंगर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण करने,
62. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के अर्न्तगत गौठ में क्यारा से गौठ झालकी होते हुए धनोल्ती तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने,
63. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के हटवाल गांव से आनन्द चौक तक पंम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
64. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड थौलधार के अर्न्तगत मैण्डखाल क्षेत्र में स्थित गांवों के लिए पंम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
65. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर के अगलाड नदी से काण्डी तक पंम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
66. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर टरु एवं खाद मे पंम्पिंग पेयजल योजना निर्माण करने,
67. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर में भवान, स्यालसी व गोरण हेतु पंम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने,
68. विधानसभा क्षेत्र धनोल्ती के विकास खण्ड जौनपुर राजकीय इन्टर कालेज आनन्द चौक, मरोडा, रैतु की बेली, नकुरची, मथलाऊ, सडभ क्यारी, दौंक, विकास खण्ड थौलधार के गैर (नगुण), क्यारी नगुण, बाण्डा व विकास खण्ड चम्बा के बनाली में भवन निर्माण कार्य करने,

69. विधानसभा क्षेत्र धनोली के विकास खण्ड जौनपुर के रा.उ.मा.वि. सेलवाणी, कुमालडा, थान, नौघर, साटागाड़, भटोली, लैदूर, भालकीमाण्डे, भुटगावं, चामासारी, रणोगी तथा परोगी का भवन निर्माण करने,
70. विधानसभा क्षेत्र धनोली के धनोली के विकास खण्ड जौनपुर के भवान, कैम्पटी, विकास खण्ड थौलधार के मैण्डखाल में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण करने,
71. विधानसभा क्षेत्र धनोली के विकास खण्ड जौनपुर के कण्डालगांव, भटोली, काण्डाजाख, रगड़गांव, गोठ, शीर्ष व विकास खण्ड थौलधार के डडोली, नेरी, मंजकोट (नगुण) के पशु सेवा केन्द्रों का भवन निर्माण कार्य करने,
72. विधानसभा क्षेत्र धनोली के धनोली के विकास खण्ड थौलधार के अन्य पिछडा वर्ग गंगाड़ी समुदाय को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित करने,
73. प्रदेश में स्थापित होने वाले छोटे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रदेश के ही शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किये जाने,
74. विधानसभा क्षेत्र धनोली अध्यापक विहीन हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में तथा महाविद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती करने,
75. विधानसभा क्षेत्र धनोली के धनोली-मोरियाणा, देवलसारी, नागटिब्बा तक जाने हेतु सुदृढ़ ट्रेक मार्गों तथा विश्रामालयों का निर्माण करने,
76. विधानसभा क्षेत्र धनोली के वन भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया में लम्बित प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण करने,
77. विधानसभा क्षेत्र धनोली के चम्बा-जड़ी पानी, काणाताल धनोली को नवीन तकनीकी रूप से फल पट्टी विकसित करने,
78. विधानसभा क्षेत्र धनोली के कण्डीसौड़ (थौलधार) तथा थत्तूड़ (जौनपुर) में राजकीय पालितैक्निक की स्थापना करने,
79. विधानसभा क्षेत्र धनोली के विकास खण्ड जौनपुर के अगलाड नदी तथा सौंग नदी (सकलाना क्षेत्र) के आस-पास बस्तियों एवं गांवों में बाढ़ सुरक्षा कार्य करने,
80. विधानसभा क्षेत्र धनोली के विकास खण्ड जौनपुर के भवान, थत्तूड़, पन्तवाड़ी व विकास खण्ड थौलधार के कमान्द में खेलों के प्रोत्साहन हेतु खेल मैदानों का निर्माण करने,
81. विधानसभा क्षेत्र धनोली के विकास खण्ड थौलधार के कण्डीसौड़ में विकास खण्ड चिन्यालीसौड़, (उत्तरकाशी) के गावों को जोड़ने हेतु भागीरथी नदी पर बने जलाशय के उपर झूला पुल का निर्माण करने,
82. राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के गावों में निवासरत् लोगों के द्वारा हो रहे लगातार पलायन रोकने हेतु ठोस नीति बनाने,

83. चारधाम चात्रा मार्गों पर तीर्थ यात्रियों तथा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने,
84. राज्य में औद्योगिकी को आर्थिकी व रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य योजना व नीति बनाने,
85. राज्य के प्रत्येक हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति करने ,
86. विधानसभा क्षेत्र धनोली के अर्न्तगत दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त अगलाड नदी पर बहे खेतों का पुर्ननिर्माण करने तथा बाढ़ नियन्त्रण योजनान्तर्गत सुरक्षात्मक कार्य करने,
87. राज्य में होम स्टे योजना में सरलीकरण करने,
88. विधानसभा क्षेत्र धनोली के अर्न्तगत विद्युत सुविधा से वंचित गावों/तोकों में विद्युतीकरण किये जाने,
89. विधानसभा क्षेत्र धनोली के अर्न्तगत म्याणी (जाखधार), रौतू की बेली, मोरियाणा, बनानी (चम्बा), में बी.एस.एन.एल. मोबाईल टावर स्थापित करने,
90. विधानसभा क्षेत्र धनोली के अर्न्तगत भवान-नगुण मोटर मार्ग में स्थित ग्राम रौतू की बेली के समीप स्थित बस्तियों में पेयजल योजना कार्य करने,
91. विधानसभा क्षेत्र धनोली के विकास खण्ड जौनपुर के अर्न्तगत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम थत्यूड़,साटागाड (बान्सी), मूलगढ़, टिकरी (ढकरौल) सौठियालगांव, श्रीपुर (भरवाकाटल) तथा विकास खण्ड थौलधार के अर्न्तगत ल्वारखा (थौलधार), स्यांसू, खाण्ड, डोबन, क्यारी (गुसांई) में बारात घर निर्माण कार्य करने,
92. विधानसभा क्षेत्र धनोली के विकास खण्ड जौनपुर के सत्यों (पुजारगांव) में राजकीय महाविद्यालय हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने,
93. विधानसभा क्षेत्र धनोली के विकास खण्ड जौनपुर के मरोडा (सकलाना) में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने,
94. विधानसभा क्षेत्र धनोली के विकास खण्ड जौनपुर के नैनबाग तथा विकास खण्ड थौलधार के कण्डीसौड में तहसील के भवनों का निर्माण कार्य करने,
95. विधानसभा क्षेत्र धनोली के अर्न्तगतम बंगियाल व गरखेत में राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा खोलने,
96. विधानसभा क्षेत्र धनोली के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल धनोली, भवान तथा कमान्द, मैण्डखाल में पर्यटकों व क्षेत्रीय जनता की सुविधा हेतु ए.टी.एम. सुविधा उपलब्ध कराने,
97. राज्य के महिला मंगल दलों तथा युवक मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने,

98. नये जिलों का सृजन किए जाने,
99. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बडकोट, नौगांव, डुण्डा, चिन्यालीसौड, कण्डीसौड तथा थत्यूड में टेली मेडिसिन व टेली रेडियोलोजी की सुविधाएं प्रदान करने,
- 100.सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती करने व इस चिकित्सालय से अन्यत्र सम्बद्ध किये गये चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सकों को वापस करने,
- 101.अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सत्यों सकलाना में एम्बुलेंस हेतु वाहन चालक का पद सृजित करने व जब तक पद सृजित न हो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था करने,
- 102.राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य में तैनात संविदा कर्मियों को लायल्टी बोनस तथा समान कार्य समान वेतन प्रदान करने,
- 103.शहरी विकास विभाग में लोकसेवा आयोग से कार्यरत सफाई निरीक्षकों उत्तरप्रदेश की भांति 4200 ग्रेड पे/वेतनमान के छठवें स्तर प्रदान करने,
- 104.टिहरी बांध परियोजना अन्तर्गत निर्मित जलाशय के समीपस्थ अवस्थित गांव की भूमि को लगातार हो रहे भू-स्खलन को रोकने के कारगर उपाय करने,
- 105.उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में की गयी किराया वृद्धि को तत्काल वापस लेने,
- 106.राज्य में विद्युत दरों में की गयी वृद्धि को तत्काल वापस लेने,
- 107.राज्य में जलकर/सीवर कर में की गयी वृद्धि तत्काल वापस लेने,
- 108.आल वेदर रोड परियोजना में प्रभावित काश्तकारों की भूमि का एक समान प्रतिकर दिये जाने।